जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

परीक्षा समिति की कार्यवाही

मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 25.12.2018 को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन में आहूत आकस्मिक परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही :

बैठक में निम्नवत अधिकारीगण उपस्थित हुए।

1. प्रो0 योगेन्द्र सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ0 (श्रीमती) रीना सक्सेना	सदस्य
3. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार सिंह	सदस्य
4. डॉ0 दयालानन्द राय	सदस्य
5. डॉ0 राजीव कुमार	सदस्य
6. डॉ0 राम शरण पाण्डेय	विशेष आमंत्रित
7.श्री प्रकाश सिंह, वित्त अधिकारी,	विशेष आमत्रित
8.श्री संजय कुमार, कुलसचिव	सदस्य सचिव

माननीय कुलपति जी द्वारा परीक्षा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की कुलसचिव को निर्देशित किया गया। तत्क्रम में कुलसचिव द्वारा परीक्षा समिति के सम्मुख विचारार्थ कार्यसूची प्रस्तुत की गयी, जिस पर परीक्षा समिति ने मदवार निम्नाकित निर्णय लिये।

मद सं0 1क– कुलसचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया को शैक्षिक सत्र 2018–19 से कला संकाय के अन्तर्गत परास्नातक स्तर पर एम0ए0–हिन्दी एवं समाजशास्त्र विषयों के संचालन की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की गयी थी कि प्रवेश/कक्षा संचालन से पूर्व शिक्षण कार्य हेतु मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी, अन्यथा की स्थिति में सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु कालेज लॉग इन में सीटे प्रदर्शित नही की जायेंगी।

परन्तु महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता पत्र में उल्लिखित शर्तों/मानकों का ससमय पालन न करते हुए बगैर अनुमोदित शिक्षकों के ही उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश दे दिये गये तथा विश्वविद्यालय के पोर्टल में उनका रजिस्ट्रेशन/परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अनुरोध किया गया। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के दिनांक 04.10.2018 एवं 17.10.2018 को अनुमोदित शिक्षकों की सूची के सापेक्ष महाविद्यालय द्वारा दिनांक 16.11.2018 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया।

महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों का परीक्षा फार्म भराये जाने हेतु महाविद्यालय द्वारा विभिन्न तिथियों में किये गये अनुरोध पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त परीक्षा समिति ने निम्नांकित निर्णय लिये–

1. विशेष परिस्थितियों में छात्रहित में महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों को निकटस्थ महाविद्यालय जहां हिन्दी एवं समाजशास्त्र की सीटें रिक्त है में समस्त अर्ह छात्रों को स्थानान्तरित कर दिया जाये, तथा श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया द्वारा छात्रों द्वारा लिया गया शुल्क भी स्थानान्तरित किये जाने वाले महाविद्यालय को उपलब्ध कराया जाये।
2. कुलसचिव द्वारा समिति के सम्मुख महाविद्यालयों का विवरण जहां एम0ए0–समाजशास्त्र एंव हिन्दी में सीटे रिक्त है प्रस्तुत हुई हैं। समिति ने दोनो विषयों में रिक्त सीटों की संख्या एवं निकटस्थ महाविद्यालय होने के कारण गोपाल जी महाविद्यालय, रेवती, बलिया में इन छात्र/छात्राओं को स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया तथा यह भी निर्णय लिया कि इन छात्रों की परीक्षाएं जनवरी माह के अन्तिम सप्ताह में विश्वविद्यालय परिसर की परीक्षाओं के साथ करायी जायें।
3. समिति ने प्राचार्य के उक्त कृत्य की जांच हेतु डॉ0 के0के0 मिश्रा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय, डॉ0 राम प्रकाश कुशवाहा, प्राचार्य एवं श्री महेश कुमार, उप कुलसचिव की त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया।
4. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इन छात्रों का पृथक से परीक्षा कराये जाने हेतु आने वाले अतिरिक्त व्ययभार की वसूली भी श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया से की जाये।

मद सं0 1ख– कुलसचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2018–19 बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय सयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया था। उक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम काउन्सलिंग, पूल काउन्सलिंग तथा डाइरेक्ट प्रवेश के माध्यम से जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से सम्बद्ध महाविद्यालयों में 1602 अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु भेजा गया। परन्तु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा ऐसे अभ्यर्थियो को अपने महाविद्यालय मे प्रवेश दे दिये गये है जो काउन्सलिंग के माध्यम से आवंटित नही किये गये तथा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी सी0डी0 मे उनके नाम नही है।

उपर्युक्त प्रकरण पर परीक्षा समिति ने विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये–

1. बी0एड0 प्रथम सेमेस्टर की होने वाली परीक्षा में केवल उन्ही छात्रों को सम्मिलित कराया जाये जो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम काउन्सलिंग, पूल काउन्सलिंग तथा डायरेक्ट प्रवेश के माध्यम से भेजे गये है तथा उनके नाम की सूची जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को भेजी गयी सी0डी0 में है।
2. जिन छात्रों का नाम लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित सी0डी0 में नहीं है ऐसे छात्रों के प्रवेश की वैधता का सत्यापन लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कराने के उपरान्त ही पृथक से इनकी परीक्षायें जनवरी के अन्तिम सप्ताह में करायी जायेंगी।

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

3. परीक्षा समिति ने बी0एड0 महाविद्यालय द्वारा काउन्सलिंग/डाइरेक्ट प्रवेश की सूची से इतर दिये गये अभ्यर्थियों को प्रवेश तथा विश्वविद्यालय के पोर्टल पर उनका रजिस्टेशन करने सम्बन्धी कृत्य की जाच हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया। जांच समिति के सदस्य डॉ0 देवेन्द्र सिंह, श्री प्रकाश सिंह, वित्त अधिकारी, डॉ0 राजीव कुमार, डॉ0 आर0पी0 कुशवाहा तथा श्री महेश कुमार, उप कुलसचिव होगे। परीक्षा समिति द्वारा जांच समिति से अपेक्षा की गयी कि प्रकरण की जांच एक सप्ताह के अन्दर करते हुए जांच आख्या अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी।

मद सं0 1ग– कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया की भांति ही राम करण पी0जी0 कालेज, भीमपुरा नं0 1, बलिया को सत्र 2018–19 से कृषि संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एस0सी0–एजी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु सम्बद्धता इस शर्त के अधीन प्रदान की गयी थी कि प्रवेश/कक्षा संचालन से पूर्व महाविद्यालय द्वारा शिक्षण कार्य हेतु मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी, अन्यथा की

स्थिति में सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु कालेज लॉग इन में सीटे प्रदर्शित नहीं की जायेंगी, परन्तु महाविद्यालय द्वारा बिना शिक्षकों के अनुमोदन एवं कक्षा संचालन की अनुमति के ही छात्रों को बी0एस0सी0–एजी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दे दिये गये हैं।

प्रकरण में महाविद्यालय को सम्बद्धता पत्र में उल्लिखित शर्तों/मानकों का उल्लंघन किये जाने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 28.11.2018 को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया कि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप क्यों न सम्बन्धित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता वापस ले ली जाये। महाविद्यालय द्वारा प्राप्त प्रतिउत्तर दिनांक 21.12.2018 विलम्ब से प्रेषित उत्तर दिनांक 21.12.2018 पर सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त परीक्षा समिति ने महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय के पोर्टल पर परीक्षा फार्म भरे जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय लिया–

1. महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों का छात्रहित में अन्य किसी स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम संचालित न होने के कारण स्थानान्तरित किया जाना सम्भव नहीं है तथा महाविद्यालय को उक्त पाठ्यक्रम की प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेशानुसार गठित सक्षम समितियों के माध्यम से विचार किया जाये।

2. प्रकरण में परीक्षा समिति ने मद सं0–1क पर गठित जांच समिति को महाविद्यालय के उक्त कृत्य की जांच हेतु अधिकृत किया।

(संजय कुमार)
कुलसचिव